

प्रारंभिक परीक्षा

स्काईकास्ट सिस्टम (SKYCAST SYSTEM)

संदर्भ

भारत ने विमानन मौसम पूर्वानुमान (aviation weather forecasting) में सुधार के लिए मिशन मौसम (Mission Mausam) के तहत इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGI), नई दिल्ली में अपने पहले स्काईकास्ट सिस्टम का उद्घाटन किया।

स्काईकास्ट के बारे में

- **यह क्या है?** यह एक एकीकृत विमानन मौसम निगरानी और पूर्वानुमान प्रणाली है जो पायलटों, एयरलाइंस और वायु यातायात प्रबंधन एजेंसियों (air traffic management agencies) को वास्तविक समय में वायुमंडलीय आसूचना (real-time atmospheric intelligence) प्रदान करती है।
- **उद्देश्य:** कोहरे, विक्षोभ (turbulence) और दृश्यता (visibility) पर अग्रिम चेतावनी प्रदान करके टेक-ऑफ और लैंडिंग की सुरक्षा में सुधार करना।
- **प्रमुख प्रौद्योगिकियां:** यह रडार विंड प्रोफाइलर, सोडार (SODAR), माइक्रोवेव रेडियोमीटर, ग्राउंड-आधारित फॉग एयरोसोल स्पेक्ट्रोमीटर (GFAS) और लिडार-आधारित सीलोमीटर को एकीकृत करता है।
 - **रडार विंड प्रोफाइलर:** लगभग 3 किमी की ऊंचाई तक हवा की गति, हवा की दिशा, विक्षोभ और ऊर्ध्वाधर वायु गति (vertical air movement) को मापता है।
 - **सोडार (सोनिक डिटेक्शन एंड रेंजिंग):** निचले वायुमंडल में हवा के पैटर्न और विक्षोभ की निगरानी के लिए ध्वनि तरंगों का उपयोग करता है।
 - **माइक्रोवेव रेडियोमीटर:** वायुमंडलीय तापमान, आर्द्रता और जल वाष्प प्रोफाइल को मापता है।
 - **ग्राउंड-आधारित फॉग एयरोसोल स्पेक्ट्रोमीटर (GFAS):** कोहरे के पूर्वानुमान और दृश्यता मूल्यांकन में सुधार के लिए कोहरे की बूंदों और एयरोसोल का विश्लेषण करता है।
 - **लिडार-आधारित सीलोमीटर:** बादलों के आधार की ऊंचाई (cloud base height), कोहरे की परतों और ऊर्ध्वाधर वायुमंडलीय संरचना की निगरानी के लिए लेजर पल्स का उपयोग करता है।
- **अतिरिक्त उपयोग:** यह मौसम पूर्वानुमान, प्रदूषण निगरानी, आपदा तैयारियों, शहरी मौसम सेवाओं और एआई-आधारित निर्णय समर्थन प्रणालियों का समर्थन करता है।
- **वैश्विक स्थिति:** भारत ऐसी उन्नत एकीकृत विमानन मौसम निगरानी प्रणाली तैनात करने वाला 19वां देश बन गया है।
- **वैज्ञानिक आधार:** इसे 2015 में IITM और IMD द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किए गए शीतकालीन कोहरा प्रयोग (Winter Fog Experiment - WiFEX) के निष्कर्षों का उपयोग करके विकसित किया गया है।

मिशन मौसम के बारे में

- **शुभारंभ:** इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सितंबर 2024 में दो वर्षों के लिए ₹2,000 करोड़ के परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया।
- **नोडल मंत्रालय:** पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) द्वारा IMD, NCMRWF और IITM के माध्यम से कार्यान्वित।

- **उद्देश्य:** उन्नत मौसम पूर्वानुमान और जलवायु सेवाओं के माध्यम से भारत को "वेदर रेडी" (Weather Ready) और "क्लाइमेट स्मार्ट" (Climate Smart) बनाना।
- **प्रमुख ध्यान केंद्रित क्षेत्र (Key Focus Areas):** उन्नत अवलोकन प्रणालियों और उच्च-रिज़ॉल्यूशन मॉडल का उपयोग करके मौसम पूर्वानुमान, मानसून की भविष्यवाणी, आपदा चेतावनियों और जलवायु सेवाओं को बढ़ाना।
- **प्रमुख घटक:** डॉपलर वेदर रडार (DWRs), स्वचालित मौसम केंद्र (AWS), रेन गेज, उपग्रहों और सुपरकंप्यूटिंग बुनियादी ढांचे का विस्तार।
- **अनुप्रयोग:** कृषि, आपदा प्रबंधन, जल संसाधन, ऊर्जा, स्वास्थ्य और विमानन क्षेत्रों का समर्थन करता है।

भारत के समुद्री डिजिटल सुधार (INDIA'S MARITIME DIGITAL REFORMS)

संदर्भ

केंद्रीय मंत्री ने जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी (JNPA) के 37वें स्थापना दिवस के दौरान चार प्रमुख डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म के साथ वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लॉजिस्टिक्स पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स (LPPI) लॉन्च किया।

शुरू की गई प्रमुख पहलें

लॉजिस्टिक्स पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स (LPPI)

- **प्रेमवर्क:** राष्ट्रीय सागर आकलन (Sagar Aankalan) रूपरेखा के तहत विकसित और पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के साथ संरेखित।
- **कार्य:** तीन कार्गो वर्टिकल: ड्राई बल्क, लिक्विड बल्क और कंटेनर कार्गो में बंदरगाहों को बेंचमार्क करता है।
- **मेट्रिक्स:** पोत के टर्नअराउंड समय, बर्थ निष्क्रिय समय, प्री-बर्थिंग प्रतीक्षा समय और शिप बर्थ डे आउटपुट जैसे परिचालन संकेतकों का उपयोग करके वास्तविक समय के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। यह वर्ष-दर-वर्ष सुधार मेट्रिक्स के साथ पूर्ण प्रदर्शन (absolute performance) को संतुलित करता है।

24x7 ई-नाविक शिकायत निवारण मॉड्यूल (e-Navik Grievance Redressal Module)

- **कार्य:** घर से दूर अत्यधिक तनावपूर्ण परिस्थितियों में काम करने वाले भारतीय नाविकों के लिए एक समर्पित वैश्विक कल्याण इंटरफ़ेस।
- **विशेषताएं:** नाविकों को ई-नाविक पोर्टल, व्हाट्सएप, समर्पित ईमेल और अंतर्राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन सहित मल्टी-चैनल स्ट्रीम के माध्यम से दुनिया में कहीं से भी शिकायत दर्ज करने की अनुमति देता है।

ई-समुद्र शिप रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल (e-Samudra Ship Registration Module)

- **कार्य:** एक प्रमुख फ्लैगिंग सुधार जो भारतीय ध्वज के तहत वाणिज्यिक जहाजों को पंजीकृत करने के लिए आवश्यक जटिल कागजी कार्रवाई को पूरी तरह से डिजिटलीकृत और सुव्यवस्थित करता है।
- **विशेषताएं:** शीर्ष वैश्विक ओपन-रजिस्ट्री समुद्री देशों द्वारा बनाए गए ईज-ऑफ-डूइंग-बिजनेस मानकों की बराबरी करते हुए प्रशासनिक देरी को समाप्त करता है।

मेडिकल प्रैक्टिशनर मॉड्यूल (Medical Practitioner Module)

- **कार्य:** समुद्री चालक दल को फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत चिकित्सा पेशेवरों को सुरक्षित रूप से प्रबंधित, पंजीकृत और सत्यापित करने के लिए एक विनियामक डिजिटल पोर्टल।
- **विशेषताएं:** एक केंद्रीकृत डेटाबेस के रूप में कार्य करता है जो धोखाधड़ी वाले स्वास्थ्य प्रमाणपत्रों के जोखिम को कम करता है, यह सुनिश्चित करता है कि केवल चिकित्सकीय रूप से फिट कर्मी ही जहाजों पर चढ़ें।

एकीकृत जहाज पुनर्चक्रण पोर्टल (क्रेडिट नोट मॉड्यूल) - Unified Ship Recycling Portal

- **कार्य:** स्वदेशी जहाज निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार के ₹70,000 करोड़ के समुद्री विकास पैकेज को क्रियान्वित करता है।
- **विशेषताएं:** हांगकांग कन्वेंशन-अनुपालन (Hong Kong Convention-compliant) वाले भारतीय यार्डों में अपने पुराने जहाजों को रीसायकल करने वाले जहाज मालिकों को स्वचालित रूप से जहाज के स्क्रेप मूल्य के 40% के बराबर एक डिजिटल क्रेडिट नोट प्राप्त होता है, जिसे भारत के भीतर नई जहाज निर्माण परियोजनाओं के विरुद्ध सीधे भुनाया जा सकता है।

बबेसिया संक्रमण (BABESIA INFECTION)

संदर्भ

गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में एक संदिग्ध बबेसिया संक्रमण के कारण दो एशियाई शेर के शावकों की मृत्यु हो गई है, जबकि तीन अन्य शेरों की मृत्यु को प्राकृतिक कारणों और क्षेत्रीय आपसी लड़ाई (territorial infighting) से जोड़ा गया है।

परिभाषा

- **बबेसिया संक्रमण (या बबेसिओसिस):** जीनस बबेसिया (फाइलम एपिकोम्प्लेक्सा, ऑर्डर पिरोप्लास्मिडा) से संबंधित इंट्राएरिथ्रोसाइटिक प्रोटोजोआ परजीवियों (intraerythrocytic protozoan parasites) के कारण होने वाली एक टिक-जनित (tick-borne) नैदानिक बीमारी है।
- **तंत्र (Mechanism):** परजीवी मेजबान की लाल रक्त कोशिकाओं (एरिथ्रोसाइट्स) के अंदर आक्रमण करते हैं और गुणा करते हैं।
- **रोगविज्ञान (Pathology):** प्रजातियों की उग्रता (virulence) के आधार पर, यह बीमारी लाल रक्त कोशिकाओं के गंभीर प्रत्यक्ष विनाश का कारण बन सकती है। अत्यधिक उग्र स्ट्रेन हाइपोटेंसिव शॉक सिंड्रोम, सामान्यीकृत गैर-विशिष्ट सूजन, रक्त जमाव की गड़बड़ी, और केशिकाओं की खतरनाक रुकावट (एरिथ्रोसाइटिक स्टैसिस - erythrocytic stasis) को ट्रिगर कर सकते हैं।
- **उत्पत्ति:** ऐतिहासिक रूप से 19वीं शताब्दी में पहचाना गया—जहां इसने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में बड़े पैमाने पर मवेशियों में महामारी (epizootics) पैदा की—इस परजीवी का जीवन चक्र रक्त चूसने वाले टिक वैक्टर और अतिसंवेदनशील कशेरुकी मेजबानों के बीच जैविक प्रतिच्छेदन पर निर्भर करता है।
- **पाए जाने वाले क्षेत्र:** यह बीमारी विश्व स्तर पर वितरित है, लेकिन यह उन उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण भौगोलिक क्षेत्रों में अत्यधिक प्रचलित है जहां इसके विशिष्ट टिक वैक्टर पनपते हैं। उदाहरण के लिए: मवेशियों

की प्रजातियां (*B. bovis*, *B. bigemina*) उष्णकटिबंधीय/उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में व्यापक हैं, जबकि *B. divergens* यूरोप जैसे समशीतोष्ण क्षेत्रों में पाए जाते हैं।

- **वन्यजीव स्ट्रेन** सक्रिय रूप से जैव विविधता-सघन अभयारण्यों में बने रहते हैं, जैसे भारत के गुजरात में गिर परिवृश्य।

संक्रमण के लक्षण

- जंगली जानवरों (जैसे गिर शेर के शावक) और घरेलू स्तनधारियों दोनों में, नैदानिक संकेत हल्के क्षणिक बीमारी से लेकर तेजी से घातक स्थितियों तक होते हैं जिनकी विशेषताएं हैं:
 - तेज बुखार और अत्यधिक शारीरिक कमजोरी।
 - गंभीर श्वसन संकट (severe respiratory distress)।
 - इंद्रवास्कुलर हेमोलिसिस (परिसंचरण तंत्र के भीतर लाल रक्त कोशिकाओं का टूटना)।
 - प्रगतिशील रक्ताल्पता (एनीमिया) और पीलिया (यकृत के तनाव के कारण ऊतकों का पीला पड़ना)।
 - हीमोग्लोबिन्यूरिया (मूत्र में हीमोग्लोबिन का उत्सर्जन, जिससे यह गहरा हो जाता है)।

संचरण ढांचा (Transmission Framework)

- **प्राथमिक टिक संचरण:** मुख्य रूप से रिपिसेफैलस (*Rhipicephalus*), इक्सोड्स (*Ixodes*), डर्मासेंटर (*Dermacentor*), और हीमाफिसैलिस (*Haemaphysalis*) प्रजातियों जैसे संक्रमित कठोर शरीर वाले टिक्स के काटने से फैलता है।
- **ट्रांसोवेरियल फैलाव (Transovarial Spread):** संक्रमित मादा टिक्स परजीवी को अपने अंडों में स्थानांतरित कर सकती हैं, जिससे लार्वा पहले से ही संक्रमित निकलते हैं।
- **रक्त-आधारित संचरण:** संक्रमण दूषित रक्त आधान या अनुचित तरीके से स्टरलाइज किए गए चिकित्सा उपकरणों के माध्यम से फैल सकता है।
- **ऊर्ध्वाधर संचरण (Vertical Transmission):** बहुत कम मामलों में, संक्रमित माताएं गर्भावस्था के दौरान संतानों में परजीवी संचारित कर सकती हैं, विशेषकर घोड़ों में।
- **मनुष्यों के लिए ज़ूनोटिक जोखिम:** मनुष्यों को संक्रमित टिक के काटने या दूषित रक्त के माध्यम से बीमारी हो सकती है, विशेष रूप से इम्यूनोकोम्प्रोमाइड (प्रतिरक्षा में कमी वाले) व्यक्तियों को।

उपचार और नियंत्रण के उपाय

- **औषधि उपचार:** रक्तप्रवाह संक्रमण को साफ करने के लिए सामान्य एंटी-प्रोटोजोअल दवाओं में इमिडोकार्ब डिप्रोपियोनेट और डिमिनाज़ीन एसिटरेट शामिल हैं।
- **टिक वेक्टर नियंत्रण:** एसारिसाइड्स (acaricides) का उपयोग और पर्यावरण प्रबंधन टिक आबादी और पशु संक्रमण को कम करने में मदद करता है।
- **हर्ड इम्युनिटी रणनीति:** मातृ प्रतिरक्षा चरणों के दौरान युवा बछड़ों का नियंत्रित एक्सपोजर दीर्घकालिक प्राकृतिक प्रतिरोध विकसित करने में मदद करता है।

सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुरक्षित(RESERVED) रखने के लिए तीन महीने की समय सीमा तय की

संदर्भ

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को तीन महीने के भीतर सुरक्षित निर्णय सुनाने का निर्देश दिया है। यह फैसला निर्णय देने में लंबे समय तक देरी की चिंताओं से उभरा।

सुरक्षित रखा गया निर्णय (Reserved Judgment) क्या है?

- एक निर्णय को "सुरक्षित(Reserved)" माना जाता है जब एक अदालत दलीलों की सुनवाई पूरी कर लेती है लेकिन अंतिम निर्णय को बाद की तारीख के लिए स्थगित कर देती है।
- पारंपरिक रूप से, ऐसे निर्णयों को सुनाने के लिए कोई वैधानिक समय सीमा मौजूद नहीं थी।
- न्यायिक प्रथा में आम तौर पर दो से छह महीने के भीतर निर्णय दिए जाने की उम्मीद की जाती थी।

सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख निर्देश

- **तीन महीने की समय सीमा:** उच्च न्यायालयों को सामान्यतः तीन महीने के भीतर सुरक्षित रखे गए निर्णयों को सुनाना चाहिए। इस अवधि से अधिक की देरी प्रशासनिक समीक्षा और निगरानी (administrative review and monitoring) को ट्रिगर करेगी।
- **जमानत मामलों का फास्ट-ट्रैक निपटान:** जमानत आवेदनों को अधिमानतः उसी दिन तय और अपलोड किया जाना चाहिए, यदि सुरक्षित रखा गया है, तो आदेश अगले दिन तक सुनाया जाना चाहिए।
 - जमानत और सजा निलंबन आदेश (sentence-suspension orders) तुरंत जेल अधिकारियों को सूचित किए जाने चाहिए।
- **कैदियों की समय पर रिहाई:** पात्र विचाराधीन कैदियों और दोषियों को जमानत की शर्तें पूरी करने के बाद उसी दिन या अगले दिन तक रिहा किया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य प्रक्रियात्मक देरी के कारण होने वाली अनावश्यक हिरासत को रोकना है।
- **ऑपरेटिव आदेशों (Operative Orders) को सुनाना:** अति आवश्यक मामलों में, अदालतें पहले निर्णय के ऑपरेटिव (मुख्य/प्रभावी) हिस्से की घोषणा कर सकती हैं।
 - विस्तृत कारण सामान्यतः सात दिनों के भीतर अपलोड किए जाने चाहिए और असाधारण परिस्थितियों में, समय सीमा पंद्रह दिनों तक बढ़ाई जा सकती है।
- **निर्णयों को ऑनलाइन अपलोड करना:** खुली अदालत में सुनाए गए तर्कपूर्ण निर्णयों को चौबीस घंटों के भीतर उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाना चाहिए। यह पारदर्शिता और सार्वजनिक पहुंच को बढ़ाता है।

निगरानी और जवाबदेही तंत्र

- **सुरक्षित मामलों की डिजिटल ट्रैकिंग:** उच्च न्यायालय की वेबसाइटों को वह तारीख प्रदर्शित करनी चाहिए जिस दिन निर्णय सुरक्षित रखे गए थे। स्वचालित मासिक रिपोर्टों में लंबित सुरक्षित मामलों की पहचान होनी चाहिए।
- **मुख्य न्यायाधीश की भूमिका:** यदि कोई निर्णय तीन महीने से अधिक समय तक लंबित रहता है, तो रजिस्ट्रार जनरल को मुख्य न्यायाधीश को सूचित करना होगा।

- **मामलों का पुनर्वितरण:** लगातार गैर-अनुपालन से पार्टियों को सूचित करने के बाद मामले को किसी अन्य बेंच को फिर से सौंपा जा सकता है।
- **वादियों (Litigants) के लिए उपलब्ध उपाय:** यदि कोई निर्णय तीन महीने से अधिक समय तक लंबित रहता है, तो पार्टियां निर्णय सुनाने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर कर सकती हैं।
 - यदि चार महीने के भीतर कोई निर्णय नहीं दिया जाता है, तो वादी नए सिरे से सुनवाई के लिए मामले को किसी अन्य बेंच में स्थानांतरित करने का अनुरोध कर सकते हैं।

एनएफएचएस-6 (NFHS-6): मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में भारत की प्रगति


संदर्भ

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 2023-24 के दौरान आयोजित राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-6 (NFHS-6) के निष्कर्ष जारी किए।

एनएफएचएस-5 (NFHS-5) बनाम एनएफएचएस-6 (NFHS-6) की प्रमुख विशेषताएं

संकेतक	एनएफएचएस-5 (2019-21)	एनएफएचएस-6 (2023-24)
बाल स्वास्थ्य और पोषण में सुधार		
स्टंटिंग / ठिगनापन (5 वर्ष से कम आयु के बच्चे)	35.5%	29.3%
गंभीर वेस्टिंग / सूखापन	7.7%	5.2%
कम वजन वाले बच्चे	32.1%	31.8%
तीव्र श्वसन संक्रमण के लक्षण	2.8%	1.9%
गंभीर डायरिया	उच्चतर	0.5%
सार्वभौमिक टीकाकरण की दिशा में प्रगति		
पूर्णतः टीकाकृत बच्चे (12-23 महीने)	83.8%	87.1%
रोटावायरस वैक्सीन कवरेज	36.4%	85.4%
खसरे के टीके की दूसरी खुराक	58.6%	71.8%
सार्वजनिक सुविधाओं के माध्यम से टीकाकरण	-	95.6%
संस्थागत प्रसव में वृद्धि		
संस्थागत प्रसव	88.6%	90.6%
मातृ स्वास्थ्य संकेतक: सकारात्मक प्रवृत्तियां		
एएनसी (ANC) प्राप्त करने वाली गर्भवती महिलाएं	-	95.9%
पहली तिमाही में एएनसी पंजीकरण	70%	76.2%
चार या अधिक एएनसी दौरें	58.5%	65.2%

प्रजनन दर और परिवार नियोजन की प्रवृत्तियाँ		
कुल प्रजनन दर (TFR)	2.0	2.0
गर्भनिरोधक प्रसार दर	66.7%	69.1%
महिला सशक्तिकरण और सामाजिक संकेतक		
इंटरनेट का उपयोग करने वाली महिलाएं	33.3%	64.3%
बैंक खाते रखने और उपयोग करने वाली महिलाएं	78.6%	89%
मोबाइल फोन का उपयोग करने वाली महिलाएं	53.9%	63.6%
स्वच्छ मासिक धर्म सुरक्षा का उपयोग (15-24 वर्ष)	77.6%	79.2%
स्वास्थ्य बीमा द्वारा कवर किए गए परिवार	41%	60.2%



मुख्य परीक्षा

अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों और नियम-आधारित व्यवस्था का क्षरण

संदर्भ

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, जो संयुक्त राष्ट्र (UN) जैसे संस्थानों, अंतर्राष्ट्रीय संधियों और बहुपक्षीय मानदंडों पर निर्मित है, बढ़ते क्षरण का सामना कर रही है।

अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का क्षरण

- **संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन:** संयुक्त राष्ट्र चार्टर संप्रभु राज्यों के खिलाफ बल प्रयोग को प्रतिबंधित करता है, फिर भी प्रमुख शक्तियां तेजी से इस सिद्धांत की अनदेखी कर रही हैं।
 - उदाहरण: यूक्रेन पर रूस का आक्रमण (2022); ईरान पर अमेरिका-इजरायल के हमले (2026)
- **समुद्री मानदंडों का कमजोर होना:** UNCLOS-आधारित समुद्री नियमों को एकतरफा कार्रवाइयों द्वारा तेजी से चुनौती दी जा रही है।
 - उदाहरण: पीसीए (PCA) द्वारा खारिज किया गया चीन का नाइन-डैश लाइन का दावा (2016) लेकिन दक्षिण चीन सागर में कृत्रिम द्वीपों और तटक्षक बल की जबरदस्ती (coercion) के माध्यम से इसे लागू करना जारी है
- **मानवीय कानून का क्षरण:** संघर्षों के दौरान जिनेवा सम्मेलनों (Geneva Conventions) के तहत नागरिक सुरक्षा मानदंडों का तेजी से उल्लंघन किया जा रहा है।
 - उदाहरण: गाजा में नागरिक हताहत; सीरिया में रासायनिक हथियारों का उपयोग; यमन में अस्पतालों पर हमले; टिग्रे में भुखमरी की रणनीति
- **मानवाधिकारों के प्रति घटता सम्मान:** लोकतांत्रिक और सत्तावादी दोनों ही राज्यों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दायित्वों की अक्सर अनदेखी की जाती है।
 - उदाहरण: शिनजियांग में उइगरों की हिरासत; म्यांमार में रोहिंग्या संकट; आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक युद्ध (Global War on Terror) के दौरान यातना; ईरान में महसा अमिनी के विरोध प्रदर्शनों का दमन
- **हथियार-नियंत्रण वास्तुकला का पतन:** लंबे समय से स्थापित रणनीतिक स्थिरता तंत्र कमजोर हो रहे हैं।
 - उदाहरण: आईएनएफ (INF) संधि का पतन; ओपन स्काईज संधि (Open Skies Treaty) का क्षरण; न्यू स्टार्ट (New START) के आसपास अनिश्चितता;
- **जलवायु और पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं का कमजोर होना:** पर्यावरणीय दायित्व आर्थिक और भू-राजनीतिक हितों के सामने तेजी से गौण होते जा रहे हैं।
 - उदाहरण: पेरिस समझौते के लक्ष्यों का पटरी से उतरना; अमेज़न में अवैध वनों की कटाई; अनियमित गहरे समुद्र में खनन (deep-sea mining)
- **चयनात्मक बहुपक्षवाद (Selective Multilateralism) का उदय:** राज्य तेजी से अंतर्राष्ट्रीय कानून का केवल तभी समर्थन करते हैं जब यह उनके हितों के अनुरूप होता है।
 - उदाहरण: यूक्रेन, गाजा और दक्षिण चीन सागर विवादों पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं

- **दमनकारी राज्य व्यवहार (Coercive State Behaviour) का सामान्यीकरण:** आर्थिक प्रतिबंधों, नाकाबंदी और एकतरफा कार्रवाइयों को विदेश नीति के उपकरणों के रूप में तेजी से उपयोग किया जा रहा है।
 - उदाहरण: होर्मुज जलडमरूमध्य में व्यवधान; व्यापार प्रतिबंध और द्वितीयक प्रतिबंध (secondary sanctions))

क्षरण के कारण

- **महाशक्तियों की प्रतिद्वंद्विता की वापसी:** अमेरिका-चीन की तेज होती प्रतिस्पर्धा और नवीनीकृत भू-राजनीतिक संघर्ष ने वैश्विक नियमों पर सर्वसम्मति को कमजोर कर दिया है।
- **अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के निवारक प्रभाव (Deterrence) में कमी:** अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में अक्सर प्रभावी प्रवर्तन शक्तियों का अभाव होता है। (वीटो की राजनीति के कारण यूएनएससी (UNSC) का पंगु होना)
- **प्रमुख शक्तियों द्वारा चयनात्मक अनुपालन:** शक्तिशाली राज्य अक्सर बिना किसी महत्वपूर्ण परिणाम का सामना किए मानदंडों का उल्लंघन करते हैं, जिससे दूसरों को भी ऐसा करने का प्रोत्साहन मिलता है। (इराक, यूक्रेन और दक्षिण चीन सागर के पूर्व-उदाहरण)
- **कमजोर जवाबदेही तंत्र:** अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक निकायों के पास सीमित अधिकार क्षेत्र और प्रवर्तन क्षमताएं हैं। (आईसीसी (ICC) के अधिकार क्षेत्र की बाधाएं और चयनात्मक न्याय के आरोप)
- **राष्ट्रवाद और रणनीतिक यथार्थवाद का उदय:** राष्ट्रीय सुरक्षा और भू-राजनीतिक हित तेजी से अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों पर भारी पड़ रहे हैं।
- **तकनीकी और हाइब्रिड युद्ध की चुनौतियां:** मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय मानदंड साइबर युद्ध, एआई-संचालित दुष्प्रचार, स्वायत्त (autonomous) हथियारों और अंतरिक्ष-आधारित संपत्तियों को विनियमित करने में संघर्ष कर रहे हैं।
- **वैश्विक शासन का विखंडन:** प्रतिस्पर्धी भू-राजनीतिक गुटों के उदय ने सार्वभौमिक बहुपक्षीय ढांचे के लिए समर्थन को कम कर दिया है।

क्षरण के निहितार्थ

- **संघर्ष का बढ़ता जोखिम:** कमजोर मानदंड सैन्य आक्रमण और दमनकारी व्यवहार पर प्रतिबंधों को कम करते हैं।
- **छोटे राज्यों के लिए खतरा:** जब अंतर्राष्ट्रीय कानून अपनी विश्वसनीयता खो देता है, तो छोटे और विकासशील देश अधिक संवेदनशील हो जाते हैं।
- **वैश्विक विश्वास में कमी:** अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में घटता विश्वास कूटनीतिक संघर्ष समाधान को कमजोर करता है।
- **मानवीय संकट:** मानवीय मानदंडों के अनुपालन के कमजोर होने के कारण नागरिकों की पीड़ा में वृद्धि होती है।
- **आर्थिक और व्यापारिक व्यवधान:** समुद्री विवाद और प्रतिबंध वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं और ऊर्जा सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं। (दक्षिण चीन सागर और होर्मुज चोकप्वाइंट)
- **हथियारों की होड़ और रणनीतिक अस्थिरता:** कमजोर होते हथियार-नियंत्रण शासन (regimes) परमाणु और पारंपरिक हथियारों की प्रतिस्पर्धा के जोखिम को बढ़ाते हैं।
- **ग्लोबल कॉमन्स के लिए चुनौतियां:** महासागरों, जलवायु प्रणालियों, साइबर स्पेस और बाहरी अंतरिक्ष को सामूहिक रूप से शासित करना तेजी से कठिन हो गया है।

आगे की राह

- **वैश्विक शासन संस्थानों में सुधार:** बहुपक्षीय संस्थानों की वैधता और प्रतिनिधित्व को मजबूत करना। (समकालीन भू-राजनीतिक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए यूएनएससी में सुधार)
- **जवाबदेही तंत्र को मजबूत करना:** अंतर्राष्ट्रीय कानूनी और निगरानी संस्थानों की प्रवर्तन शक्तियों को बढ़ाना। (आईसीसी, आईसीजे और संधि-निगरानी निकायों के लिए अधिक समर्थन)
- **बहुपक्षवाद को पुनर्जीवित करना:** साझा चुनौतियों पर मुद्दा-आधारित गठबंधनों और व्यापक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना।
- **समुद्री शासन को मजबूत करना:** UNCLOS का अनुपालन सुनिश्चित करना और अंतर्राष्ट्रीय न्यायनिर्णयन (adjudication) के माध्यम से समुद्री विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना।
- **हथियार-नियंत्रण ढांचे को पुनर्जीवित करना:** परमाणु, मिसाइल और उभरती प्रौद्योगिकी शासन पर वैश्विक प्रयासों को नवीनीकृत करना।
- **मध्य-शक्ति गठबंधनों को बढ़ावा देना:** भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और आसियान (ASEAN) सदस्य जैसे देश नियम-आधारित व्यवस्था की रक्षा में स्थिरकारी शक्तियों के रूप में कार्य कर सकते हैं।
- **मानदंड अनुपालन (Norm Compliance) की संस्कृति का निर्माण:** राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय कानून को एक बाधा के रूप में नहीं, बल्कि पूर्वानुमानित वैश्विक व्यवस्था के लिए एक साझा ढांचे के रूप में देखने की आवश्यकता है। (जैसा कि थ्यूसीडाइड्स (Thucydides) ने चेतावनी दी थी, पूरी तरह से शक्ति द्वारा शासित व्यवस्था अंततः कमजोर और मजबूत दोनों को नुकसान पहुंचाती है)